TENDER DOCUMENT
निविदा दस्तावेज

FOR THE WORK
कार्य हेतु

विभागीय कार्यों के लिये सामग्री प्रदाय

कार्यालय,
वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल कटनी (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण

कार्यालय, वन मंडल अधिकारी, सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र.

वर्ष 2024–25 सामग्री प्रदाय हेतु
निविदा शर्ते

भाग–1

1 निविदा प्रपत्र म.प्र.शासन की वेबसाईट **https://mptenders.gov.in** से डाउनलोड करें।

2 यह निविदा **वित्तीय वर्ष 2024–25** हेतु सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र. अंतर्गत सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित की जा रही है।

3 सामग्री क्रय हेतु निविदा को निर्धारित प्रारूप में वेबसाईट **https://mptenders.gov.in** पर ऑन–लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है।

4 निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	दिनॉक	समय
01	Published Date	**https://mptenders.gov.in** पर प्रकाशन दिनॉक व समय	
02	Document Sale Start Date		
03	Bid Submission Start Date		
05	Bid Submission End Date	14.03.2025	12:00 PM
06	Bid Opening Date	15.03.2025	12:00 PM

5 यदि निविदा खुलने की दिनॉक को अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदा आगामी कार्य दिवस पर 12:00 PM पर खोली जायेगी।

6 **प्रक्रिया–1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये राशि 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) है तथा अमानत की राशि रुपये 50,000/– (रूपये पचास हजार रूपये मात्र) है, जिसे ऑनलाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र की मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया–2 के लिए योग्य माना जायेगा। चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रू. 500 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कर सामग्री की सत्यंकार की राशि प्रत्येक सामग्री के लिये भाग–2 में दर्शित तालिका अनुसार राशि का एफ.डी.आर. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल कटनी के पक्ष में जारी कराकर जमा कराना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित 2022 के नियमानुसार अमानत व सत्यंकार की राशि से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम व स्टार्टअप को छूट रहेगी।

7 **प्रक्रिया–2:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मो की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग–2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने हैं।

8 **प्रक्रिया–3:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में भाग–2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने हैं। वित्तीय निविदा को एक्सेल शीट में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

(गौरव शर्मा)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

भाग–2

तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्त

1. निविदाकार द्वारा यदि शासकीय संस्था हेतु उपयोगी निविदा में दर्शित सामग्री का प्रदाय किया हो, तो संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण–पत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।
2. पिछले तीन ऐसेसमेंन्ट वर्ष (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।
3. पिछले दो ऐसेसमेंन्ट वर्ष (2022–23 एवं 2023–24) का जी.एस.टी. टैक्स रिटर्न जमा करने का **चार्टड एकाउन्टेंट प्रमाणित प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**
4. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत् निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में दिये गये प्रारुप अनुसार)
5. चार्टड एकाउन्टेंट प्रमाणित टर्न ओव्हर का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निविदाकार का पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान औसत वार्षिक टर्न ओव्हर जिस वस्तुओं के लिये निविदा कोट की जा रही है, उसकी अनुमानित निविदा मूल्य के दो गुने से कम नहीं होनी चाहिये। यदि निविदाकार द्वारा एक से अधिक सामग्री के लिये निविदा कोट की जाती है, तो औसतन वार्षिक टर्न ओव्हर उन सामग्रियों की अनुमानित निविदा मूल्य के योग के दो गुने से कम नहीं होनी चाहिये। यदि निविदाकार द्वारा वार्षिक औसत टर्न ओव्हर से छूट चाही गई है, तो फर्म का **''स्टार्टअप इंडिया प्रमाण–पत्र''** संलग्न करना अनिवार्य है।
6. फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
7. निविदाकार द्वारा जिस सामग्री हेतु निविदा भरी जा रही है, उस सामग्री का निविदाकार के पास होना चाहिये :–
   (i) किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पी.एस.यू./सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में) सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव :–
      (क) तीन समान कार्य जिसके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है, जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

      या

      (ख) दो समान कार्य जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है, जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

      या

      (ग) एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है, जिनके लिये निविदा दी गई है।

      अथवा

      (घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, मध्य प्रदेश में समान मदों का कार्य निष्पादित किया गया हो, जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 30 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिये।

यदि निविदाकार को अनुभव संबंधी शर्तो में छूट चाही गई है, तो फर्म का **''स्टार्टअप इंडिया प्रमाण–पत्र''** (यह प्रमाण–पत्र निविदा में दी गई सामग्री की कैटेगिरी का हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उक्त शर्तो के आधार पर अनुभव संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा। अतः निविदाकारों को विगत 03 वर्षो में निविदा में दर्शित सामग्री के कार्य आदेश (मात्रा, दर एवं राशि सहित) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त निविदाकारों को 03 दिवस के अन्दर निविदा दस्तावेजों में ली गई आपत्तियों के संबंध में प्रश्न किये जाने का अवसर प्रदान किया जावेगा, जिसमें निविदाकारों से पृथक से दस्तावेजों की पूर्ति नहीं कराई जावेगी।

8. निविदाकार द्वारा जिस सामग्री हेतु निविदा भरी जा रही है, उक्त सामग्री का किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रम में पिछले तीन वित्तीय वर्ष में सफलतापूर्वक कार्य करने का अनुभव हो एवं इनमें से किसी एक वर्ष में मध्य प्रदेश वन विभाग में सफलतापूर्वक कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा। यदि निविदाकार को अनुभव संबंधी शर्तो में छूट चाही गई है, तो फर्म का **''स्टार्टअप इंडिया प्रमाण–पत्र''** संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रूपये 500/– वापसी योग्य नहीं है।

10. निविदा किसी फर्म की ओर से दिये जाने की स्थिति में फर्म के प्रोपराईटर को निविदा दस्तावेजों में हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। प्रोपराईटर की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उक्त कार्य हेतु मुख्तार नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे हों, तो अधिकार पत्र की सत्यापित प्रति एवं फर्म के **''इंडियन पार्टनरशिप एक्ट''** के अंतर्गत पंजीकरण के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

11. इस निविदा की सामग्री कम या ज्यादा करने का तथा किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता के पास होगा।

12. निविदा में दी गई दरों की अवधि सम्पूर्ण **वित्तीय वर्ष 2024–25** हेतु होगी। उक्त दरों की अवधि आगामी टेण्डर होने तक बढ़ायी जा सकती है। परन्तु यह अवधि वर्ष 2024–25 के पश्चात् केवल तीन माह के लिये ही बढ़ायी जा सकती है।

13. चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रुपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित कर दिये जाने वाली सामग्री की निम्नानुसार धरोहर राशि का बैंक एफ.डी.आर./डिमांड ड्राफ्ट वन मंडल अधिकारी सामान्य वनमंडल, कटनी के पक्ष में जमा करना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।

14. **निविदाकार द्वारा सामग्री की प्रस्तावित दरें जी.एस.टी. रहित होगी।**

क्र.	सामग्री का नाम	इकाई	धरोहर राशि	अनुमानित निविदा मूल्य
1.	विद्युत फिटिंग कार्य हेतु कॉपर वायर, 2.5 एम.एम. वायर	र.मी.	5000	150000
2.	विद्युत फिटिंग कार्य हेतु कॉपर वायर, 1.5 एम.एम. वायर	र.मी.	5000	150000
3.	विद्युत फिटिंग कार्य हेतु कॉपर वायर, 1.0 एम.एम. वायर	र.मी.	5000	150000
4.	विद्युत फिटिंग कार्य हेतु कॉपर वायर, 4.0 एम.एम. वायर	र.मी.	5000	150000
5.	व्हाईट सीमेंट	बोरी	5000	150000
6.	किचिन सिंक	नग	5000	150000
7.	वॉश बेसिन	नग	5000	150000

(गौरव शर्मा)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

भाग–3
निविदा की अन्य शर्तें

1 सफल निविदाकर्ता को वन विभाग, सामान्य वन मंडल कटनी म.प्र. के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि राशि को जप्त किया जा सकेगा।

2 सामग्री का प्रदाय संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन न करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का आदेश सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र. द्वारा निरस्त किया जा सकता है, इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी, उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र. के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।

3 विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर नियमानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

4 सामग्री स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करनी होगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके स्वयं के व्यय पर वापस मंगानी होगी। कोई भी सामग्री डुप्लीकेट या मूल निर्माता कंपनी की न होने पर निविदाकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रत्येक सामग्री की सप्लाई पर कम से कम एक वर्ष की रिप्लेसमेंट गांरटी रहेगी। निविदाकर्ता को सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में मांग किये जाने पर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5 उक्त सामग्री सामान्य वनमंडल, कटनी मध्यप्रदेश के परिक्षेत्र कटनी, बड़वारा, विजयराघवगढ़, रीठी, बहोरीबंद एवं ढीमरखेड़ा के वन क्षेत्रों में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए आदेश के अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री प्रदाय की जानी होगी।

6 सामग्री प्रदाय हेतु ई–निविदा में दर्शित मात्रा पूर्णतः अनुमानित है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है। मात्रा में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा। निविदा में दर्शित सामग्री क्रय करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

7 निविदा दरें कार्य स्थल तक परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय सहित होगी।

8 भुगतान राशि से देय करों की कटौती की जावेगी ।

9 निविदा में एक से अधिक निविदाकारों की सामग्री की न्यूनतम दरें समान होने की स्थिति में निविदाकारों की आपसी सहमति पर सामग्री की मात्रा को विभाजित कर आदेशित किया जावेगा एवं निविदाकारों की आपसी सहमति न होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदाकार का चयन किया जावेगा।

10 स्वीकृत निविदा दरें तत्समय बाजार दर से अधिक पाये जाने की स्थिति में निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी। अतः सामग्री की दरें बाजार दर से अधिक न हों।

11 सामग्री की क्वालिटी एवं मात्रा का सत्यापन उप वनमण्डलाधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। सत्यापित मात्रा के अनुसार भुगतान होगा। यदि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज या अन्य जानकारी मांगी जाती है, तो निविदाकार को तत्काल संबंधित सत्यापनकर्ता को प्रदाय करना होगा ।

12 प्रदाय स्थल पर सामग्री को ऐसा रखा जावेगा, जिससे मापन में सुविधा हो।

13 सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तो में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर धरोहर की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार का राजनैतिक या अनैतिक दबाव नहीं डाला जायेगा ।

14 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र. के पास सुरक्षित रहेगा।

15 निविदा दर स्वीकृत होने पर 500/– रुपये का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा।

16 किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ जिस व्यक्ति के नाम से निविदा भरी जा रही है, उसके द्वारा हस्ताक्षरकर्ता को दिया गया मुख्तारनामा जो 1000/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर मान्य होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।

17 जो निविदा मान्य नहीं होगी, उनकी सत्यंकार राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

18 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

19 दरें स्वीकृत होने पर Specification अनुसार बिल के साथ सामग्री प्रदाय किया जाना होगा ।

20 सामग्री के क्रय आदेश आवश्यकतानुसार वनमंडल अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे, जिसमें सामग्री प्रदाय करने हेतु एफ.ओ.आर. स्थल दर्शाया जावेगा। प्रदायकर्ता को सामग्री एफ.ओ.आर. स्थल तक पहुंचा कर देना होगा।

21 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर सामान्य वनमंडल कटनी म.प्र. का निर्णय अंतिम होगा।

22 निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय सामान्य वनमंडल कटनी, मध्य प्रदेश का होगा।

23 समस्त विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र कटनी रहेगा।

24 **निविदाकार द्वारा सामग्री की प्रस्तावित दरें जी.एस.टी. रहित होगी।**

25 किसी भी विरोधाभाष की स्थिति में म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित 2022) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमॉक/एफ.–2//2024–25/10–3/2776, दिनॉक 20.09.2024 के नियमों का पालन किया जायेगा।

(गौरव शर्मा)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

प्रपत्र ए–1

(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

वन मंडल अधिकारी,
सामान्य वनमंडल कटनी (म.प्र.) ।

विषयः– सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष 2024–25 बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	
1	फर्म का नाम	
2	पत्र व्यवहार का पता	
3	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
4	पदनाम	
6	मोबाईल नं. **(Whats App** वाला**)**	
7	लेंडलाईन नं.	
8	ई–मेल आई.डी.	

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2", "3", "4" में दर्शित शर्तो के अनुसार उपयोगी ई–निविदा में दर्शित सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष–2024–25 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते है।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

यह फार्म स्पष्ट अक्षरों में भरा जावें।

प्रारूप 2

(भाग – 2 की शर्त क्रमांक 5 हेतु)

(रूपये 100/– के गैर न्यायायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

शपथ पत्र

मैं .... पिता .... पता .... प्रोपराईटर मेसर्स .... शपथ लेकर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ कि :–

1. यह कि फर्म/प्रोपराईटर को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि फर्म का निविदा में दर्शित सामग्री के प्रदाय संबंधी कोई कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।
3. यह कि फर्म/प्रोपराईटर को कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
4. यह कि निविदा में प्रस्तुत तथा शपथ–पत्र में दी गई जानकारियां असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने तथा सुरक्षा निधि जप्त करने का अधिकार वन मंडल अधिकारी सामान्य वनमंडल कटनी का होगा।

शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं .... शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 से 4 में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य है।

शपथ ग्रहिता